न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 203 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 454**
दायर दिनांक :– 06.08.2025 **निर्णय दिनांक :– 17.10.2025**

1. अनोपाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. रूपा पत्नी भंवरलाल जाति माली निवीस नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. जगदीशप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी तहसील बाप जिला फलोदी
3. रेणु पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
4. सोनिया पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम तालरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से सबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने में सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम तालरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम तालरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/बीघा	किस्म
1	अनोपाराम पुत्र भंवरलाल, रूपा पत्नी भंवरलल, रेणू पुत्री भंवरलाल, सोनिया पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख	तालरिया	1964/2	38–08 बीघा	बी–2
2	जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख	तालरिया	1964/2	9–12 बीघा	बी–2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. अनोपाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. रूपा पत्नी भंवरलाल जाति माली निवीस नोख तहसील बाप जिला फलोदी
02. जगदीशप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी तहसील बाप जिला फलोदी
03. रेणु पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
04. सोनिया पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 203/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर बुधाराम विश्नोई मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम तालरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48—00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/बीघा	किस्म
1	अनोपाराम पुत्र भंवरलाल, रूपा पत्नी भंवरलल, रेणू पुत्री भंवरलाल, सोनिया पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख	तालरिया	1964/2	38—08 बीघा	बी—2
2	जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख	तालरिया	1964/2	9—12 बीघा	बी—2

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.10.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।